दावा न्यायाधिकरण सहमत प्रक्रिया
(दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित)

अध्याय – 1. विस्तार एवं परिभाषाएँ

1. विस्तार – यह प्रक्रिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर सभी दावों के लिये लागू होगी।

2. परिभाषाएँ – (1) इस प्रक्रिया में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है,

(ख) ''दुर्घटना'' से सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन के उपयोग से संपृक्त दुर्घटना अभिप्रेत है,

(ग) ''दावा न्यायाधिकरण'' से अधिनियम की धारा 165 के तहत् गठित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अभिप्रेत है,

(घ) ''खण्ड'' से इस सहमति प्रक्रिया में उल्लेखित खण्ड माने जायेंगे

(ड) ''प्रारूप'' से वह प्रारूप अभिप्रेत है जो दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 2008 से संलग्न है,

(च) ''बीमा कंपनी'' से अभिप्रेत है वह बीमा कंपनी है, जिसके साथ दुर्घटना में संपृक्त वाहन घटना दिनांक को बीमाकृत था,

(छ) ''अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी'' से पुलिस थाने का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार में मोटर वाहन से संबंधित दुर्घटना घटित हुई है और उसके अंतर्गत वह अधीनस्थ पुलिस अधिकारी भी शामिल है जिसे प्रकरण का अनुसंधानकर्ता न्यस्त किया गया है ।

(ज) ''विधिक प्रतिनिधि'' का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 खण्ड (11) में निर्धारित है,

(झ) ''नियम'' या ''2008 के नियम'' – दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के नियम, 2008 के संदर्भ वहन करेगा,

(2) अन्य सभी शब्द एवं भाव जो एतस्मिन उपरांत उपयोग किये गये है, परंतु परिभाषित नहीं किये गये एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, नियम 2008 में परिभाषित किये गये है का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन्हें अधिनियम अथवा नियम के तहत दिये गये हैं।

अध्याय – 2. सूचना की प्राप्ति, सत्यापन एवं विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन

3 – दुर्घटना की सूचना की प्राप्ति और अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी के कर्तव्य

(1) अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी एक या एक से अधिक स्त्रोत से जानकारी प्राप्त कर सकता है लेकिन यह सीमित नहीं होगा,

(क) दुर्घटना में शामिल वाहन के मालिक/ड्रायवर द्वारा अधिनियम की धारा 134 के तहत प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन,

(ख) दावेदार

(ग) दुर्घटना का साक्षी अथवा किसी अन्य सूचनादाता या सूचना के अन्य स्त्रोत,

(घ) अस्पताल या चिकित्सा सुविधा जहां मृतक या घायल को चिकित्सा उपचार देने के लिये ले जाया गया हो।

(2) उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर, अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा की वह यथा संभव शीघ्रता से 48 घंटे के भीतर –

(क) दुर्घटना कारित होने की जानकारी दावा न्यायाधिकरण, जिसके क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई है, को सूचित करेगा जो कि इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त रजिस्टर में दर्ज की जावेगी ।

(ख) यदि बीमा विवरण उस समय तक उपलब्ध है, तो अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी भी संबंधित बीमा कंपनी को भी ई–मेल द्वारा सूचना भेजेगा,

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा दुर्घटना होने की जानकारी उनके वेब साइट पर अपलोड किया जायेगा।

(घ) दुर्घटना की सूचना में सभी प्रसांगिक विवरण जैसे दुर्घटना की तिथि, समय और स्थान, दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीयन क्रमांक, नीति विवरण, वाहन स्वामी का पता तथा हमलावर वाहन के चालक व स्वामी का नाम व पता एवं अुनसंधानकर्ता अधिकारी का नाम व मोबाईल क्रमांक शामिल होगा।

(ड) नियम 3 (1) (क) के संदर्भ में दुर्घटना के दृश्य का इस तरह के कोण में छाया चित्र खिचवायेगा कि वह सड़क के लेआउट तथा चौड़ाई आदि या जैसा भी मामला हो, वाहन, व्यक्ति की स्थिति जो दुर्घटना में शामिल हो, स्पष्ट रूप से चित्रित इस तरह से करेगा कि की दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के प्रयोजन के लिये साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किये जा सकें ।

(च) पूर्ण विवरण एकात्रित करेगा तथा पक्षकारों से निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करेगा :

(A) वाहन स्वामी /वाहन चालक से अधिनियम की धारा 133 /134 तथा 158 एवं नियम 3 के तहत –

(i) घटना की परिस्थितियॉ और इसके अंतर्गत वह परिस्थितियां (यदि कोई हो) शामिल हें जिनमें अधिनियम की धारा 134 (a) के अधीन आहत् व्यक्ति को किन परिस्थितियों (यदि हो तो) में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त कदम नौमत उठाये जा सके

(ii) दुर्घटना की तिथि, समय और स्थान,

(iii) दुर्घटना में आहत अथवा मृतक के ब्यौरे,

(iv) वाहन के स्वामी व वाहन चालक नाम व पता तथा वाहन चालक की चालक अनुज्ञप्ति, तथा मंजिली गाड़ी, यात्री यान या माल यान की दषा में कंडेक्टर की अनुज्ञप्ति;

(v) बीमा पॉलिसी या विकल्प में वैध कव्हर नोट जो कि 60 दिन से अनधिक अवधि का हो ।

(vi) बीमा प्रमाण पत्र,

(vii) पंजीयन प्रमाण पत्र,

(viii) परिवहन वाहन के मामले में, अधिनियम की धारा 56 में उल्लेखित फिटनेस प्रमाण पत्र तथा परमिट।

(B) दुर्घटना में आहत् व्यक्ति या दावेदार या उनके विधिक प्रतिनिधि से, जैसा भी मामला हो :

(i) मृत्यु के मामले में,

(क) आयु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना के समय का मृतक का फोटो आई.डी.

(ख) मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन,

(ग) दुर्घटना के समय मृतक की आय का प्रमाण,

(क) शासकीय /अर्द्धशासकीय कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची/ वेतन प्रमाण पत्र के रूप में,

(ख) निजी कर्मचारी के मामले में नियुक्तिकर्ता का प्रमाण पत्र तथा पिछले 6 महिनों के बैंक खाते का विवरण जो वेतन के भुगतान को दर्शाता हो,

(ग) एक स्व–रोजगार व्यक्ति के मामले में आई.टी. रिर्टन,

(घ) आश्रितों का विवरण, जैसे उनकी उम्र, व्यवसाय और वैवाहिक स्थिति तथा निर्भरता का सबूत शपथ पत्र के रूप में, पता एवं अन्य संपर्क, विवरण,

(ड) मेडिकल बिल एवं खर्च के विवरण प्रतियां,

(च) ससंगत के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण तथा प्रस्तावित दावाकृत प्रतिकर

(छ) दावा न्यायाधिकरण का विवरण, जहां दावेदारों द्वारा अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही जांच या सत्यापन दिनांक को, अधिनियम की धारा 163A या धारा 166 के अधीन कोई आवेदन दिया गया हो,

(ii) उपहति के मामले में

(क) आयु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना के समय का आहत् व बीमित व्यक्ति के फोटो, पता एवं अन्य संपर्क के ब्यौरे,

(ख) दुर्घटना के समय आहत् के आय का सबूत,

(क) शासकीय /अर्द्धशासकीय कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची/ वेतन प्रमाण पत्र के रूप में,

(ख) निजी कर्मचारी के मामले में नियुक्तिकर्ता का प्रमाण पत्र तथा पिछले 6 महिनों के बैंक के खाते का विवरण जो वेतन के भुगतान को दर्शाता हो,

(ग) स्व–रोजगार व्यक्ति के मामले में आयकर विवरणी

(ग) सरकारी अस्पताल या किसी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल द्वारा जारी किये गये विकलंगता प्रमाण पत्र

(घ) अस्पताल तथा के एम.एल.सी. /दुर्घटना रजिस्टर का सार अथवा मेडिकोलीगल रिपोर्ट –

(ड) मेडिकल बिल तथा खर्च के विवरण एवं उनकी प्रतियां, लंबे समय तक इलाज के मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी उसका विवरण दर्ज करेगा तथा दावेदार, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त समस्त विलंब विवरण प्रस्तुत कर सकेगा

(च) कार्य से अनुपस्थिति का प्रमाण पत्र (जहां उपहति के कारण आय की क्षति होने का दावा किया गया हो) जैसे कि नियुक्तिकर्ता का प्रमाण पत्र तथा उपस्थिति रजिस्टर या लॉग रिकार्ड या अन्य रिकार्ड के सार का विवरण

(छ) सुसंगत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण एवं प्रस्तावित दावाकृत प्रतिकर

(ज) दावा न्यायाधिकरण का विवरण, जहां दावेदारों द्वारा

अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही जांच या सत्यापन दिनांक को, अधिनियम की धारा 163A या धारा 166 के अधीन यदि कोई आवेदन दिया गया हो,

(3) अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी खण्ड 3 (2) में उल्लेखित दस्तावेजों की सत्यता असलियत का सत्यापन उस कार्यालय या प्राधिकारी या व्यक्ति से लिखित रूप में पुष्टि कर करेगा जिसके द्वारा उक्त दस्तावेज जारी किया गया हो अथवा ऐसे अनुसंधानकर्ता या सत्यापन जो दस्तावेज या सूचना के असलियत होने के निष्कर्ष में पहुंचने के लिये आवश्यक है द्वारा करेगा तथा ड्राइवर के अनुज्ञप्ति तथा वाहन के परमिट को पंजीयन अधिकारी से सत्यापित करने के सीमित तक नहीं रहेगा।

(4) अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी दुर्घटना में शामिल वाहन को मुक्त नहीं करेगा तथा वाहन को परिबद्ध करेगा जबकि :

(क) यह पाया जाता है कि पंजीकृत स्वामी के नाम पर ली गया बीमा पॉलिसी में तृतीय पक्ष के जोखिम सम्मिलित नहीं किया गया है या

(ख) जब पंजीकृत स्वामी, इस तरह के बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जब जहां चालक ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत करने में विफल रहता है और इस तथ्य की जानकारी उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट को देगा जहां दुर्घटना घटित हुई हो अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को यह भी विवरण देगा कि पंजीकृत स्वामी द्वारा अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत अपराध का गठन करने वाले तथ्यों के अस्तित्व में होने के बावजूद अभियोजित क्यों नहीं किया गया ।

(5) सभी मामलों में जहां चालक द्वारा ड्राइविंग लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है, या वाहन स्वामी द्वारा परमिट या बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गयी, तब अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी चालक या वाहन स्वामी से जैसा भी प्रकरण हो, लाईसेंस का ब्यौरा, वाहन का प्रकार एवं श्रेणी, जिसे चलाने हेतु उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई है, परमिट और या बीमा पॉलिसी और दुर्घटना दिनांक को उनकी वैधता के संबंध में कथन के रूप में शपथ पत्र लेगा। ऐसे मामलों में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी वाहन मालिक के संपत्ति एवं संसाधनों की जांच कर उनका विवरण, प्रतिवेदन के साथ संलग्न करेगा ।

4 – विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डी.ए.आर.) की तैयारी तथा अग्रेषित करना–

1. दस्तावेजों को संग्रह तथा सत्यापन के पूरा होने एवं जांच के पश्चात्, अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन को प्रारूप ''ए'' में दुर्घटना घटित होने के 30 दिवस के भीतर में पूरा करेगा, नियम 3 (1) (सी) के

अंतर्गत विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन सह अपेक्षित दस्तावेज संलग्न होंगे जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार अंतिम प्रतिवेदन की प्रति, मेडिकोलिगल प्रमाण पत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदन (मृत्यु के प्रकरण में), प्रथम सूचना प्रतिवेदन, छाया चित्र, घटना स्थल का मानचित्र, यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट, जब्ती ज्ञापन, ऊपर खण्ड 3 (2) में वर्णित दस्तावेजों की छायाप्रति जिनके सत्यता की पुष्टि के बारे में प्राप्त रिपोर्ट की गई हो या अन्यथा कार्यवाही की गई हो।

2. विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को तत्काल पूरा करने के पश्चात् अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट की एक प्रति अपनी मोहर सहित निम्नलिखित को अग्रेषित करेगा,

(i) दावा न्यायाधिकरण को, अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी के विधिवत् अभिप्रमाणित शपथ पत्र सहित –

– जहां दावेदार द्वारा दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पूर्व से ही दावा प्रस्तुत किया जा चुका है तो उस दावा न्यायाधिकरण को;

– जहां कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है, वहां दावा न्यायाधिकरण, जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना घटित हुई हो।

(ii) दावेदार या दुर्घटना के आहत् व्यक्ति या उनके विधिक प्रतिनिधि जैसा भी मामला हो, को निःशुल्क, उनके उस पते पर जैसा दावेदार द्वारा अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को बताया गया हो,

(iii) वाहन के मालिक/ ड्राइवर को, 5 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से, उनके पते पर जो मालिक /ड्राइवर द्वारा अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को जांच के दौरान बताया गया हो,

(iv) 10 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी को।

3. अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट की एक प्रति पूरे दस्तावेजों सहित, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक मामले की जांच करेगा और दावा न्यायाधिकरण को विधि के उपबंध अनुसार प्रतिकर निर्धारण में सहयोग प्रदान करेगा।

4. जहां अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी अनुसंधानकर्ता को 30 दिवस के भीतर, अपने नियंत्रण से परे कारणों से, जांच पूर्ण करने में असमर्थ है, जैसे हिट एण्ड रन मामले या जहां पक्षकार दावा न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के बाहर निवास करते हो, जहां अनुज्ञप्ति न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर से जारी किया गया हो, या जहां आहत् को घोर उपहति कारित की गई हो और उसका इलाज

विचाराधीन है, अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अवधि के विस्तार के लिये प्रस्ताव करेगा, जिसपर दावा न्यायाधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुये अवधि का उचित विस्तार करेगा।

5. अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी दावा न्यायाधिकरण के समक्ष विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन सहित चालक, वाहन स्वामी, दावेदार और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को प्रस्तुत करेगा। हलांकि, यदि पुलिसअधिकारी वाहन स्वामी, चालक, दावेदार तथा प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को सुनवाई की पहली तारीख को अपने नियंत्रण से परे कारणों से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो दावा न्यायाधिकरण उन्हें अनुसंधानकर्ता अधिकारी के माध्यम से उपस्थिति के लिये सूचना जारी करेगा जिसकी तिथि 30 दिवस की अवधि से अधिक की नहीं होगी। अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन दाखिल करने की तिथि के पूर्व संबंधित बीमा कंपनी को अग्रिम सूचना देगा ताकि नामित वकील बीमा कंपनी की ओर से दावा न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई की पहली तारीख को उपस्थित रह सके।

6. जो कर्तव्य खण्ड (3) एवं (4) में ऊपर वर्णित है में नियम 3 (2) नियम 2008 के रूप में भी ग्राह्य किये जावेगे और ऐसा माना जावेगा की वे दिल्ली पुलिस एक्ट, 1978 (1978 का 34) की धारा 60 में सम्मिलित है और इसका उल्लंघन किये जाने पर वे सभी परिणाम भुगतना होगा जो नियम 3 (2) में प्रावधानित हैं।

5 – पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्य – संबंधित पंजीकरण अधिकारी का कर्तव्य होगा कि–

(क) प्रारूप ''डी'' के अनुसार दुर्घटना में संलिप्त वाहन के संबंध में या चालक के ड्राइविंग लाईसेंस से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन, प्रारूप 'E' में उल्लेखित निर्देश के 15 दिवस के भीतर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे,

(ख) फार्म ''एफ'' का आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर चाही गई जानकारी प्रतिवेदन फार्म ''डी'' में अंकित कर उस व्यक्ति को प्रदान करेगा जो प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता हो या विधिक प्रतिनिधि या बीमा कंपनी जैसा भी मामला हो, परंतु बीमा कंपनी द्वारा चाही गई जानकारी 10 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रदान की जावेगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित खण्ड 3 एवं 4 में उल्लेखित सत्यापन प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को सहयोग करेगा तथा पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर 15 दिवस के भीतर प्रारूप ''डी'' में प्रतिवेदन दुर्घटना में संपृक्त मोटर वाहन या ड्राइवर के लाईसेंस से संबंधित दस्तावेज के सत्यापन या असलियत के बारे में अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को प्रदान करेगा।

अध्याय–3 विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट के आधार पर संस्थित किये गये दावे–

6 विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकिया

(1) दावा न्यायाधिकरण विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन की परीक्षा करेगा कि वह सभी प्रकार से पूर्ण है या नहीं और तब इस संबंध में उचित आदेश पारित करेगा। यदि दावा न्यायाधिकरण ऐसी रिपोर्ट को संपूर्ण नहीं पाता है, तब वह अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी को निर्देशित करेगा कि वह अपना प्रतिवेदन पूर्ण करें और पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु तिथि नियत करेगा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेगी।

(2) अनुससंधानकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट को दावा न्यायाधिकरण मोटरयान अधिनियम की धारा 166(4) के अंतर्गत प्रस्तुत दावा याचिका के समान ग्रहण करेगा यदि विवेचना अधिकारी प्रकरण की सुनवाई की प्रथम तिथि पर दावेदार को उपस्थित नहीं करता है, वहॉ दावा न्यायाधिकरण प्रथमतः विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन को विविध न्यायिक कार्यवाही (एम0जे0सी0) के रूप में पंजीकृत करेगा और दावेदार के उपस्थित होने पर इसे मुख्यदावा याचिका (आवेदन) माना जावेगा।

(3) दावा न्यायाधिकरण बीमा कंपनी को 30 दिवस का समय देगा कि वह विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन की जांच करे और दावेदार को विधि अनुसार प्रस्तावित प्रतिकर राशि का निर्णय लेवे। यह निर्णय बीमा कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में लिया जावेगा और यह सकारण निर्णय होगा। बीमा कंपनी का प्राधिकृत अधिकारी अपने सकारण निर्णय को दावा न्यायाधिकरण के समक्ष विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करेगा।

(4) बीमा कंपनी का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रतिकर राशि का लिखित सकारण निर्णय दावेदार के लिये विधिक प्रस्ताव होगा और यदि वे इसे स्वीकार करते है तब दावा न्यायाधिकरण सहमति अधिनिर्णय आदेश पारित करेगा और बीमा कंपनी को 30 दिवस का समय देगा कि वह अधिनिर्णय राशि का भुगतान दावेदार को करे, परन्तु ऐसा कोई सहमति अधिनिर्णय आदेश पारित करने से पूर्व दावा न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि दिया गया प्रतिकर विधि अनुकूल एवं न्यायपूर्ण है या नहीं। दावा न्यायाधिकरण इस आशय का भी आदेश पारित करेगा कि दावेदारों में प्रत्येक का उस राशि में कितना अंश है और उन्हें उनके अंश के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(5) यदि दावेदार बीमा कंपनी द्वारा दिये गये ऐसे किसी प्रस्ताव पर त्वरित प्रतिसंवेदन देने की स्थिति में नहीं है, तब दावा न्यायाधिकरण उन्हे अधिकतम 30 दिवस का समय देगा कि वह इस प्रस्ताव के संबंधम में प्रतिसंवेदन करें ।

(6) यदि बीमा कंपनी द्वारा दिया गया प्रस्ताव दावेदार को स्वीकार नहीं है और बीमा कंपनी के पास यदि ऐसी कोई प्रतिरक्षा विधि अनुसार उपलब्ध है, तब दावा न्यायाधिकरण मोटरयान अधिनियम की धारा 168 एवं 169 के प्रावधान अनुसार

जांच प्रारंभ करेगा और फिर वह विधि अनुकूल अधिनिर्णय आदेश 30 दिवस की अवधि में पारित करेगा।

(7) जहां दावा न्यायाधिकरण पाता है कि विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन और उसके साथ संलग्न अंतिम प्रतिवेदन अंतर्गत धरा 173 दं0प्र0सं0 से उपेक्षापूर्ण अथवा उतावलेपन से वाहन चालन या उपहति या घोर उपहति कारित किया जाना दर्शित होता है तब दावा न्यायाधिकरण धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर दावा पंजीकृत करेंगा, जहॉ विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट में उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाये जाने के तथ्य प्रकट नहीं हो या जहॉ दावेदार उपेक्षा का आक्षेप होते हुए भी, दोषदायित्व बिना दावा चाहता हो तब दावा न्यायाधिकरण दोष दायित्व विहीन दावा (नो फाल्ट बेसिस) धारा 163–ए मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करेगी।

(8) परन्तु जहॉ किसी प्रकरण में दुर्घटना में एक से अधिक वाहन के संलिप्त होने का प्रश्न हो और उन सभी वाहनों से संबंधित व्यक्ति प्रतिकर का दावा कर रहे हो, वहॉ विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट(डी.ए.आर.) को ही ऐसा आवेदन पत्र माना जावेगा जैसे कि वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रतिकर हेतु प्रस्तुत किया गया हो।

अध्याय – 4 दावेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर संस्थित दावा

7. **प्रतिकर हेतु आवेदन** – (1) प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रत्येक आवेदन फार्म ''जी'' में एवं उसके साथ जितनी आवश्यकता हो उतनी प्रतियॉ संलग्न कर, अधिनिर्णय करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले दावा न्यायाधिकरण को, अधिनियम की धारा 165 की शर्तो के अनुसार किया जावेगा।

(2) नियम 8 के अनुसार प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्न किये जावेगे –

(क) आवेदक का इस प्रभाव का शपथ पत्र कि आवेदन में उल्लेखित तथ्य उसके स्वयं के ज्ञान/विश्वास तक सही है, समान वाद कारण अथवा अन्य दुर्घटना के संबंध में आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत दावों का विवरण एवं परिणाम सभी दस्तावेज एवं उनके सत्यापन का शपथपत्र तथा आवेदक आधारित द्वारा दावे के आधार में लिये गये तथ्यों के समर्थन में शपथपत्र जिनकी प्रविष्ठि उचित रूप से दस्तावेज एवं शपथपत्र की सूची में की गई है ।

(ख) प्रमाण हेतु समस्त दस्तावेज एवं शपथ पत्र, एवं आवेदक द्वारा दावे हेतु आधारित समस्त तथ्यों के समर्थन में शपथ पत्र जिनकी प्रविष्टि विधिवत रूप से तैयार किये गये दस्तावेजों व शपथ पत्र की सूची में हो :

परंतु दावा न्यायाधिकरण किसी आवेदक को उसके दावे हेतु दस्तावेज या शपथपत्र आधारित करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, यदि उक्त दस्तावेज या शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत

नहीं किया गया है, जब तक की न्यायाधिकरण संतुष्ट नहीं हो जाता है कि अच्छे अथवा पर्याप्त हेतुक के कारण आवेदक उक्त दस्तावेज या शपथ पत्र को पूर्व में प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

(ग) दावा न्यायाधिकारण की संतुष्टिप्रद आवेदक की पहचान का प्रमाण पत्र, जब तक कि उसे लेख किये गये कारणों द्वारा छूट न दे दी गई हो,

(घ) आवेदक का पासपोर्ट आकार का विधिवत अनुप्रमाणित छाया चित्र,

(ड) फार्म ''सी'' ''डी'' में अनुसंधानकर्ता कर्ता पुलिस अधिकारी एवं पंजीयक प्राधिकरण से प्राप्त प्रतिवेदन एवं ऐसा प्रतिवेदन न प्राप्त हो तो उसके कारण,

(च) फार्म ''सी'' में दर्शित के अतिरिक्त चोटों का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, या उनका प्रभाव

(3) दावा न्यायाधिकरण मिथ्या या कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत न किये जाने की संतुष्टि हेतु आवेदक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है–

(क) पूर्व की दुर्घटनाओं से संबंधित पूर्व विवरण जिसमें आवेदक या मृतक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, सम्मिलित रहे हो,

(ख) चोटों की प्रकृति एवं प्राप्त उपचार,

(ग) पूर्व की दुर्घटनाओं में प्रदान प्रतिकर की राशि/पीड़ित आहत के नाम व विवरण, एवं क्षतिपूर्ति अदा करने वाले व्यक्ति का नाम, एवं

(घ) आवेदक का खण्ड (ख) में वर्णित व्यक्ति के साथ संबंध, (यदि कोई हो) एवं वाहन के स्वामी व चालक का नाम।

(4) कोई आवेदन जिसे जॉच किये जाने पर त्रुटिपूर्ण पाया जाता है उसे दावा न्यायाधिकरण द्वारा बतायी गई समयावधि, जो कि दो सप्ताह से अधिक नहीं होगी, में त्रुटि हटाकर पुनः प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जा सकता है। प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन को पृथक से नियम 36 में दर्शाये गये उचित रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जावेगा।

8. **आवेदक का परिक्षण** – नियम 8 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, दावा न्यायाधिकरण आवेदक को शपथ पर परिक्षित कर सकेगा, एवं परिक्षण का सार, यदि कोई हो, लेख किया जावेगा।

9. **आवेदन का संक्षिप्त निराकरण** – दावा न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन एवं नियम 10 के अंतर्गत आवेदक के लेख कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी राय में कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है, कारण लेखबद्ध कर आवेदन संक्षिप्तः खारिज कर सकता है।

10. **संबंधित पक्षकारों को सूचना** – यदि दावे हेतु आवेदन को खण्ड 6 (4) एवं खण्ड 9 के अधीन ग्राह्य पाया जाता है तो, दावा न्यायाधिकरण प्रतिपक्ष को आवेदन की सुनवाई

की दिनांक का फार्म ''आई'' का सूचना पत्र, आवेदन की प्रति, नियम 8 के अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं शपथ पत्र संलग्न कर भेजेगा एवं उन्हें उक्त दिनांक पर आवेदन का नियम 14 अनुसार लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु आहूत करेगा।

अध्याय – 5 सूचना प्राप्त होने पर बीमा कंपनी के कर्तव्य एवं विचारण पूर्व निपटान की प्रक्रिया व खर्चे

11. बोमा कंपनी के कर्तव्य – (1) बीमा कंपनी सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात्, प्रत्येक मामले के लिये नामित अधिकारी नियुक्त करेगी। नामित अधिकारी मामले में संबंध में संव्यवहार/कार्यवाही करने एवं प्रतिकर की राशि हेतु विधि के अनुसार पुलिस द्वारा दी गई विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन के पश्चात् निर्णय लेने हेतु जिम्मेदार होंगे।

(2) अधिकारों एवं आक्षेपों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां बीमा कंपनी की राय में एक दावा देय योग्य है वह विस्तृत दुर्घटना प्रतिवेदन की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर इसकी पुष्टि दावा न्यायाधिकरण को, दावे के निपटान के प्रस्ताव के माध्यम से, सहायक संगणना/हिसाब के साथ, संभागीय अधिकारी/ उक्त प्रयोजन हेतु नियुक्त अधिकारी के एक विधिवत् अनुप्रमाणित शपथ पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत करेगा।

(3) जब इस तरह के आवेदन की सुनवाई के तारीख को एवं बीमा कंपनी से इस तरह का प्रस्ताव प्राप्त होने पर, दावेदार बीमा कंपनी के समझौता के प्रस्ताव के लिये सहमत होता है, दावा न्यायाधिकरण उक्त समझौते को सहमति आज्ञप्ति के माध्यम से लेखबद्ध करेगा एवं बीमा कंपनी द्वारा सहमति आज्ञप्ति की प्रति की प्राप्ति दिनांक से अधिकतक 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जावेगा जो कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा पक्षकारों को आज्ञप्ति पारित करने के अधिकतम 7 कार्य दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जावेगा।

(4) बीमा कंपनी कार्यवाही के किसी भी स्तर धारा 170, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगी एवं उस पर दावा न्यायाधिकरण उस पर विचार एवं अधिनिर्णय करेगा।

अध्याय – 6 आवेदन अंतर्गत धारा 140 मोटर यान अधिनियम, 1988

12. ''दोष विहीन'' दायित्व के सिद्धांत पर आधारित दावे के लिये आवेदन –

(1) अधिनियम के अध्याय 10 के अंतर्गत दावे के मामले में प्रत्येक आवेदन, फार्म ''जी'' भाग – 2 में किया जायेगा दावा न्यायाधिकरण, इस नियम में वर्णित आवेदन के अधिनिर्णय के प्रयोजन के लिये, इस तरह की संक्षिप्त प्रक्रिया, जो उचित समझे, का पालन करेगा।

(2) दावा न्यायाधिकरण अधिनियम के अध्याय 10 के अनुसार प्रस्तुत किसी आवेदन को किसी तकनीकी कमी के आधार पर खारिज नहीं करेगा, परंतु आवेदक को

सूचना देगा एवं त्रुटि को दूर करवायेगा।

(3) जहां आवेदन फार्म ''ए'' एवं फार्म ''डी'' के प्रतिवेदन के साथ नहीं है, दावा न्यायाधिकरण पुलिस, चिकित्सा एवं अन्य अधिकारियों से, जो भी आवश्यक हो जानकारी प्राप्त करेगा एवं दावे के अधिनिर्णय हेतु अग्रसर होगा, चाहे नियत दिनांक पर ऐसे पक्षकार, जिन्हें सूचना दी गई थी, उपस्थित हो या नहीं।

(4) बीमा कंपनी के धारा 149, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार बीमा पॉलिसी के उल्लंघन को साबित करने के अधिकार के अधीन, दावा न्यायाधिकरण शीघ्रता से फार्म ''ए'' एवं प्रारूप ''डी'' शपथपत्र के साथ प्रस्तुत चोट एवं उपचार से संबंधित दस्तावेज नियम 18 के निर्देशों के अनुपालन में जारी किये गये, प्रतिवेदन या प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, के आधार पर दावा अधिनिर्णीत करने हेतु अग्रसर होगा । दावा न्यायाधिकरण आवेदन पर अधिनिर्णय पारित करते समय प्रभाजन हेतु, एवं दावेदारों के हितों संरक्षित करने के लिये नियम 26 एवं 27 के प्रावधान का पालन करते हुये आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

अध्याय – 7 विचारण एवं पंचाट

13. **विवाद्यकों की विरचना** – आवेदन, लिखित जवाब, पक्षकारों के परीक्षण, यदि कोई हो एवं स्थानीय अन्वेषण के परिणाम, यदि किया गया हो, पर विचार करने के पश्चात्, दावा न्यायाधिकरण ऐसे विवाद्यक को, जिन पर मामले का निर्णय आधारित होना प्रतीत होता है, विरचित एवं लेखबद्ध करने हेतु अग्रेषित होगा।

14. **विवाद्यकों का निर्धारण** – (1) विवाद्यकों की विरचना के पश्चात् दावा न्यायाधिकरण दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के तथा साक्षीगण, जिनके शपथ पत्र पक्षकारों द्वारा आवेदन व लिखित कथान के साथ प्रस्तुत किये गये है, के प्रतिपरीक्षण का अवसर देकर निर्णीत करने हेतु अग्रसर होगा । ऐसा करने में वह आदेश 19 व्यवहार प्रक्रिया, 1908 के प्रावधान की पालना करेगा।

(2) दावा न्यायाधिकरण, यदि उसे मामले के उचित निर्णय हेतु आवश्यक प्रतीत हो तो, पक्षकारों को ऐसे अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दे सकेगा, जो प्रत्येक पक्षकार प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है,

परंतु ऐसा कोई भी अन्य अवसर अनुमोदित नहीं किया जावेगा जब तक कि यह दिखा न दिया जावे कि सम्यक तत्परता के बावजूद उक्त स्तर तक परीक्षण हेतु वांछित साक्षियों के शपथ पत्र प्राप्त एवं प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, अथवा उक्त साक्ष्य आधार लेने वाले पक्षकार के ज्ञान में नहीं था।

15. साक्षी को समन करना – नियम 22 के प्रावधानों के अधीन, यदि मामले के किसी पक्षकार द्वारा साक्षी को समन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, दावा न्यायाधिकरण, खर्चो की अदायगी पर, यदि कोई हो, उक्त साक्षी की उपस्थिति के लिये समन जारी करेगा जब तक वह मामले के उचित निर्णय हेतु उनकी उपस्थित आवश्यक

नहीं समझता हो :

परंतु यदि, दावा न्यायाधिकरण की राय में, पक्षकार आर्थिक रूप से गरीब है, वह शामिल खर्चो के भुगतान हेतु जो नहीं देगा एवं वह शासन द्वारा वहन किये जावेगे :

इसके अतिरिक्त परंतु यदि किसी मामले में पक्षकार पूर्णतः या अंशतः सफल होता है, शासन द्वारा किया गया खर्च शासन को भुगतान किये जाने हेतु निर्णय ऋणी को निर्देशित किया जावेगा और ऐसा निर्देश अंतिम पंचाट पारित करते समय होगा।

16. **साक्ष्य लेख करने की पद्धति** – दावा न्यायाधिकरण, जैसे साक्षियों का परीक्षण अग्रसर होगा, प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य का सार का संक्षिप्त ज्ञापन बनायेगा एवं उक्त ज्ञापन दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा लेख एवं हस्ताक्षरित किया जावेगा एवं जो की साक्ष्य का भाग होगा। परंतु किसी विशेषज्ञ साक्षी की साक्ष्य जहां तक संभव हो सके अक्षरशः लेख की जायेगी।

17. **पूर्व जानकारी एवं दस्तावेजों का प्राप्त करना** – दावा न्यायाधिकरण पुलिस, चिकित्सा एवं अन्य प्राधिकरण जो भी पूरक जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त करेगा, जो भी आवश्यक हो एवं दावे को अधिनिर्णीत करने हेतु अग्रेषित होगा भले ही पक्षकार जिन्हें सूचना पत्र दिया गया, नियत दिनांक पर उपस्थित हो अथवा नहीं।

18. **निर्णय एवं प्रतिकर का पंचाट** – (1) दावा न्यायाधिकरण आदेश पारित करते समय निर्णय मं संक्षिप्त प्रत्येक विरचित विवाद्यक पर प्राप्त परिणाम, उक्त परिणाम के कारण लेख करेगा एवं प्रतिपक्ष या पक्षकारों द्वारा देय प्रतिकर की राशि एवं व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें प्रतिकर अदा करना है, का पंचाट बनायेगा।

(2) दायित्व को अभिनिर्धारित करने की प्रक्रिया एवं प्रतिकर के पंचाट को मृत्यु की दशा में विधिक प्रतिनिधि को प्रतिकर की भुगतान की प्रक्रिया से अलग किया जा सकेगा एवं जहां दावा न्यायाधिकरण को यह लगता है दावेदार वास्तविक भुगतान में विधिक प्रतिनिधि की पहचान व निर्धारण के कारण समय लगने की संभावना है, दावा न्यायाधिकरण प्रतिकर की राशि को उसके साथ जमा करने हेतु कह सकेगा, एवं, उसके पश्चात् प्रत्येक विधिक प्रतिनिधि को सम्यक रूप से प्रतिकर के भुगतान वितरण हेतु विधिक प्रतिनिधि की पहचान हेतु अग्रेषित हो सकेगा।

(3) जहां दावा न्यायाधिकरण यह पाता है कि दावेदार द्वारा असत्य एवं गढ़े हुये दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है अथवा उनका प्रतिकर के दावे हेतु आधार लिया गया है, दावा न्यायाधिकरण प्रत्येक ऐसे प्रस्तुत असत्य एवं गढ़े दस्तावेज हेतु 10,000/– रूपये का परिव्यय लगा सकेगा एवं इसके अतिरिक्त पुलिस को ऐसे दावेदार के विरूद्ध विधि के प्रावधानों अनुसार अभियोजन चलाने हेतु निर्देशित करेगा।

अध्याय – 8. अन्य प्रावधान

19 दुर्घटना में संपृक्त वाहन छोड़े जाने पर प्रतिषेध – (1) कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाहन को छोड़े जाने के संबंध में आदेश नहीं करेगा, जिससे की दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या शारिरीक उपहति हुई हो या संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, यदि वह वाहन

बीमा कंपनी द्वारा तृतीय पार्टी बीमित न हो या पंजीकृत स्वामी वाहन को जब्त करते समय ऐसी तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी की छायाप्रति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, जबकि उससे अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा वह पॉलिसी मांगी गई हो। जब तक पंजीकृत स्वामी न्यायालय के समक्ष सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं कर देता जो कि दुर्घटना में भुगतान किये जाने के प्रतिकर की राशि के संतुष्ट योग्य हो। जहां पंजीकृत स्वामी वाहन जब्त किये जाते समय बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं करता, परंतु इस बात पर सहमति प्रकट करता है कि युक्तियुक्त समय में इसे प्रस्तुत कर देगा, तब उस वाहन का छोड़ा जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि वह पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा उस पॉलिसी का सत्यापन न कर लिया गया हो।

(2) जहां दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ऐसी किसी तृतीय पक्ष बीमा पॉलिसी से युक्त नही हो या पंजीकृत स्वामी ऐसी किसी पॉलिसी को प्रस्तुत करने असमर्थ रहता है, जिन्हें उप नियम 1 में वर्णित किया गया है (1) तब वह मोटर वाहन की नीलामी उस मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी, जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई हो। यह समय सीमा अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन जब्त किये जाने के तीन माह की अवधि के पश्चात् की जावेगी। इस कार्यवाही में प्राप्त राशि 15 दिवस के भीतर अधिकारिता प्राप्त दावा न्यायाधिकरण के पास जमा करा दी जावेगी। इस राशि को दुर्घटना में प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रतिकर प्राप्त करने या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप उत्पन्न दावा वाद में व्यक्ति की संतुष्टि योग्य राशि माना जावेगा।

20 प्रतिवेदन के विषय में उपधारणा

दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई प्रारूप ''ए'' तथा प्रारूप ''बी'' की रिपोर्ट की विषय वस्तु जो कि, क्रमशः अनुसंधानकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा और संबंधित पंजीयन अधिकारी द्वारा एवं बीमा कंपनी द्वारा उक्त खण्ड (बी) नियम 5 के तहत स्वीकार की गई हो, के विषय में उपधारणा की जावेगी कि वह सही है और इसे साक्ष्य में बिना सिद्ध कराये पढ़ा जावेगा, जब तक कि उसके विपरीत साबित नहीं किया जाता।

21 दावा प्रकरण का अंतरण

(1) जहां दो या दो से अधिक क्लेम प्रकरण एक ही दावा कारण से उत्पन्न हुये हो एवं एक ही जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार में हो, तब जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा की वह एक आवेदन को किसी अन्य दावा अधिकारण में अंतरित कर दे, जहां दूसरा क्लेम प्रकरण लंबित है।

(क) वह दावा न्यायाधिकरण जिसके समक्ष आवेदन पत्र लंबित है, व्यक्तिगत अथवा किसी भिन्न आधार पर यह आग्रह करे या,

(ख) दावा आवेदन पत्र किसी पक्षकार द्वारा जो प्रकरण में पक्षकार है और वह जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करे और जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जावे कि आवेदन पत्र में वर्णित कारण ऐसा करने हेतु पर्याप्त है जिन्हें वह अभिलेख में लेगा,

(2) जहां दो या दो से अधिक दावे एक ही दावा कारण से उत्पन्न हुये हो और वे

राज्य के भिन्न दावा न्यायाधिकरणों में लंबित हो, तब उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों का अंतरण एक दावा न्यायाधिकरण से दूसरे दावा न्यायाधिकरण में उचित आधार पर किया जा सकेगा, इसके लिये उपरोक्त कार्यवाहियों के पक्षकार में से किसी के भी द्वारा आवेदन पत्र दिया जा सकेगा।

(3) जहां दो या दो से अधिक दावा विभिन्न दावा न्यायाधिकरण में, जो विभिन्न राज्यों में स्थित हो, तब उन राज्यों में से किसी ऐसे एक राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अंतरण के लिये आवेदन पत्र उचित आधार पर प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रकरण एक दावा न्यायाधिकरण से दूसरे दावा न्यायाधिकरण को अंतरित कर दिया जावे।

(4) ऐसे किसी अंतरण के आवेदन पत्र पर विचार करते समय यह बात विचारणीय होगी की जिस दावा न्यायाधिकरण के द्वारा प्रथम बार पक्षकारों को सूचना जारी किये गये है वहीं दावा न्यायाधिकरण ऐसे अंतरण के लिये उपयुक्त माना जावेगा।

22 वाहन का निरीक्षण

दावा न्यायाधिकरण यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी वाहन को जिससे कि दुर्घटना हुई हो, पंजीकृत स्वामी को उसके निरीक्षण के लिये बुला सकेगा। यह कार्यवाही वाहन मालिक से विचार विमर्श कर स्थान और समय तय करने पर की जा सकेगी।

23 संक्षिप्त परीक्षा किये जाने की शक्ति

दावा न्यायाधिकरण स्थानीय निरीक्षण करते समय या प्रकरण का औपचारिक विचारण करते समय किसी भी साक्षी की संक्षिप्त परीक्षा कर सकेगा, जो प्रकरण के विषय में जानकारी रखता हो। यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षा के समय वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया है या पक्षकारों में से कोई एक अथवा सभी उपस्थित हो अथवा नहीं।

24 चिकित्सीय परीक्षण के लिये निर्देश देने की शक्ति

दावा न्यायाधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, तो वह चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा अधिकारी मंडल या किसी शासकीय अस्पताल के चिकित्सक के द्वारा आहत् का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जो प्रारूप ''जे'' के प्रारूप का हो जारी करे, जिसमें यह दर्शित हो की आहत् की अक्षमता कितनी है और क्या यह दुर्घटना से उत्पन्न हुई है या नहीं और यह उस चिकित्सा अधिकारी /बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह यह प्रतिवेदन इस प्रकार का निर्देश प्राप्त करने के 15 दिवस के अवधि में दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

25 दावेदार के हित को सुरक्षित किया जाना

1 जहां दावा न्यायाधिकरण के पास एकमुश्त में धन जमा कराया गया है और वह किसी महिला अथवा विधिक अशक्त व्यक्ति के हित के लिये हो, तो वह राशि का निवेश या अन्यथा व्यक्ति की जा सकेगी, जिससे कि उस महिला अथवा ऐसे विधिक अशक्त व्यक्ति का हित साध्य हो, तो दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस प्रकार से किया जावेगा, जो उसे उचित लगे और दावा न्यायाधिकरण ऐसा निर्देश दे सकेगा कि राशि का भुगतान मृतक अथवा आहत के उपर

आश्रित व्यक्तियों को किया जावेगा, जिसे दावा न्याधिकरण सर्वाधिक उपयुक्त पावेगा और आह्त और मृतक के उत्तराधिकारी के कल्याण के लिये होगा।

2. दावा न्यायाधिकरण का इस संबंध में आवेदन दिये जाने पर या अन्यथा अधिकरण को यह संतोष होने पर कि अभिभावको कें द्वारा बच्चों के संबंध में उपेक्षा बरती जाने के कारण या आश्रित की परिस्थितियों में भिन्नता के कारण या अन्य किसी पर्याप्त कारणवश दावा न्यायाधिकरण के समझौता राशि के वितरण संबंधी या किसी आश्रित को देय राशि के निवेश संबंधी या अन्यथा निराकरण के आदेश में परिवर्तन किया जाना चाहिये दावा न्यायाधिकरण अपने पूर्व के आदेश में परिवर्तन करने के लिये आगामी आदेश कर सकेगा जो प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार उचित प्रतीत हो ।

3. दावा न्यायाधिकरण नाबालिग के विषय में इस प्रकार से आदेश कर सकेगा कि उस नाबालिग को दी जाने वाली प्रतिकर राशि का निवेश सावधि जमा के रूप में किया जावे, जब तक वह बालिग अवस्था को प्राप्त न कर ले। नाबालिग के बालिग होने तक उसके पालक/वादमित्र को यह अनुमति दी जावेगी कि वह ऐसे किसी नाबालिग के बालिग होने तक, उस पर हुई व्यय की राशि, इस प्रकार जमा कराई गई राशि में से प्राप्त कर सकेगा।

4. दावा न्यायाधिकरण जहॉ कि प्रतिकर राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति अशिक्षित है, इस प्रकार से आदेश करेगा कि प्रतिकर राशि का निवेश कम से कम 03 वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा के रूप में किया जावे, परन्तु जहॉ ऐसी परिस्थिति हो कि उस व्यक्ति को कोई चल–अचल संपत्ति क्रय करना है, जो कि उसकी आय को बढ़ाने में सहायक हो, तब दावा न्यायाधिकरण इस प्रकार के आग्रह पर विचार करेगा कि क्या मांगी गई राशि का वास्तविक उपयोग किया जाना है या वह व्यर्थ व्यय करने के लिये मांगी जा रही है।

5. दावा न्यायाधिकरण, जहॉ कि कोई व्यक्ति अर्ध–शिक्षित व्यक्ति हो वहॉ, वह उप नियम (4) के अनुसार आदेश कर सकेगा, जब तक कि उसे यह समाधान न हो जावे और इन कारणों को लेख न किया जावे कि संपूर्ण राशि अथवा राशि का एक भाग उस व्यक्ति के तत्कालीन व्यवसाय की उन्नति के लिये आवश्यक है अथवा ऐसी कोई संपत्ति को क्रय करने के लिये जैसे कि उपनियम (4) में उल्लेख किया गया है आवश्यक है। दावा न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जो राशि प्राप्त करने कि प्रार्थना की गई थी और जिसका भुगतान किया गया हो, वह उसी प्रकार से व्ययित की गई है।

6. दावा न्यायाधिकरण उन व्यक्तियों के लिये जो शिक्षित है और वे दावाकृत राशि को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे है, तब उपनियम (4) तथा (5) में उल्लेखित आधारों पर प्रतिकर की राशि के विषय में दावा करने वाले व्यक्ति की आयु, आर्थिक स्थिति उसकी पृष्ठ भूमि, समाज में उसका स्थान व अन्य इस प्रकार के आधारों को देखते हुये प्रतिकर की राशि की सुरक्षा को देखते हुये आवश्यक आदेश कर सकेगा।

7. दावा न्यायाधिकरण व्यक्तिगत उपहति के मामलों में जहॉ कि आहत को और अधिक उपचार की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित हो जाने पर और उन कारणों को लेखबद्ध करने के

बाद प्रतिकर राशि को आहरित करने की अनुमति दे सकेगा जो कि उस व्यक्ति के उपचार के लिये आवश्यक है।

8. दावा न्यायाधिकरण, जहॉ कि राशि का निवेश किया जा रहा हो, यह देखेगा कि उस निवेश की गई राशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो, जो कि दावा करने वाले व्यक्ति को समय–समय पर प्राप्त होता हो। इस राशि का निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा शासित होते हो और जिनके द्वारा अधिक दर पर निवेश की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता हो, में किया जा सकेगा।

9. दावा न्यायाधिकरण निवेश की गई राशि के विषय में उस संस्था को, ब्याज की राशि को सीधे दावा करने वाले व्यक्ति अथवा नाबालिग होने पर उसके पालक/वादमित्र को सीधे भुगतान करने के लिये निर्देशित कर सकेगा और इसकी सूचना दावा न्यायाधिकरण प्राप्त करेगा।

26. <u>सुनवाई पर स्थगन</u>:–

यदि दावा न्यायाधिकरण यह पाता है कि आवेदन पत्र एक ही सुनवाई की तिथि पर निराकृत नहीं हो सकता, तब वह ऐसे कारणों को लिखकर सुनवाई की तिथि पर स्थगन देगा और आगामी तिथि की सूचना पक्षकारों को देगा।

27. <u>दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये अधिनिर्णय का लागू किया जाना</u>:–

धारा 174 मोटर यान अधिनियम की विषय–वस्तु के प्रावधान के अधीन दावा न्यायाधिकरण उसके द्वारा दिये गये अधिनिर्णय के लागू किये जाने के लिये उन सभी शक्तियों का उपयोग करेगा, जो कि एक सिविल न्यायालय को आज्ञप्ति के निष्पादन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5 Of 1908) के अंतर्गत प्राप्त है। दावा न्यायाधिकरण इस प्रकार की प्रक्रिया अपनायेगा जैसे कि धन के भुगतान के लिये किसी सिविल न्यायालय द्वारा सिविल वाद में आज्ञप्ति पारित की गई हो।

28. <u>दावा न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियॉ प्रदत्त किया जाना</u>:–

बिना किसी पूर्वाग्रह के, जो कि धारा 169 मोटर यान अधिनियम में वर्णित है, प्रत्येक दावा न्यायाधिकरण उन सभी शक्तियों को प्रयोग कर सकेगा जो कि एक सिविल न्यायालय को प्राप्त है। दावा न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उपयोग सभी प्रक्रिया के पालन के लिये कर सकेगा।

29. <u>प्रतिकर के भुगतान होने पर रसीद की प्राप्ति</u>:–

दावा न्यायाधिकरण प्रतिकर प्राप्त करने वाले व्यक्ति से दो प्रति में प्रतिकर भुगतान किये जाने की रसीद प्राप्त करेगा और इसमें से एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा तथा दूसरी प्रति को प्रकरण के अभिलेख में भुगतान के संबंध में संलग्न करेगा।

30. <u>पंजी (रजिस्टर)</u>:–

1 दावा न्यायाधिकरण उन सभी पंजियों के अतिरिक्त, जो कि एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली के न्यायालय में उपलब्ध होते हैं, के अतिरिक्त ऐसे रजिस्टर/पंजी को

संधारित करेगा, जो निम्नानुसार होंगेः–

(i) रजिस्टर जिसमें दुर्घटना की संख्या/तथ्य का उल्लेख हो।

(ii) रजिस्टर, जिसमें कि ऐसे आवेदन पत्र जिनमें अंतरिम प्रतिकर राशि के भुगतान की नो फॉल्ट आधार पर अंतरिम अधिनिर्णय पारित किया गया हो।

(iii) ऐसा रजिस्टर, जिसमें कि, भुगतान के लिये जमा की गई राशि चैक के माध्यम से दी गई हो।

2. रजिस्टर जिसमें, वह याचिका जो मृत्यु, स्थाई अक्षमता, संपत्ति को हुये नुकसान के विषय में हो, एक पृथक संधारित की जावेगी।

31. <u>सभी पंजियों की अभिरक्षा एवं सुरक्षित रखा जाना</u>ः–

किसी भी प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज एवं अभिलेख को अभिलेखागार में 06 साल की अवधि के लिये सुरक्षित रखा जावेगा, जब तक कि अधिनिर्णय की संतुष्टि न हो गई हो या निर्णय के पश्चात 12 वर्ष की अवधि के लिये जब तक कि अधिनिर्णय अंतिम नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।

अध्याय – 9. अपील

धारा 32 दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील :

(1) धारा 173 के उपबंधों के अधीन, दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध प्रत्येक अपील आवेदक अथवा उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के प्रारूप में होगी एवं उच्च न्यायालय को प्रस्तुत होगी एवं उसके साथ निर्णय की एक प्रति संलग्न होगी।

(2) ज्ञापन में सारतः एवं विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अपीलाधीन निर्णय पर आपत्ति के आधार बिना तर्क एवं वर्णन के उल्लेखित होंगे एवं उक्त आधारों पर क्रमांकित किया जावेगा।

(3) उप नियम (1) एवं (2) के रहते हुये आदेश 41 एवं आदेश 21 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान समान रूप से उच्च न्यायालय को धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पर लागू होंगे।

धारा 33 प्रमाणित प्रतिलिपियॉं – प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किये जाने से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय तक दिल्ली में लागू नियम समान रूप से दावा न्यायाधिकरण के मामलों में भी लागू होंगे।

•